संख्या– 973 / 71–4–2018–07 / 2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 12 जून, 2018

विषय:–शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / 2120, दिनांक 24.05.. 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू0जी0–2018 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र–2018–19 में प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. तकनीकी संस्था का नामांकन–

शैक्षणिक सत्र–2018–19 में राजकीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल / डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु नीट यू0जी0–2018 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग / प्रवेश हेतु छात्रों का ऑन लाईन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु National Informatics Center (NIC) को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। तकनीकी संस्था द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की देख–रेख में सी0बी0एस0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट सूची के आधार श्रेणीवार (सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) राज्य मेरिट सूची तैयार की जायेगी। उक्त के साथ–साथ डा0 ए0के0 सिंह, परीक्षा नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को नीट यू0जी0 2018 हेतु परामर्शदाता के रूप में भी नामित किया जाता है।

2. विवरण पुस्तिका (ब्रोशर)

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एक समिति गठित कर अपनी देख–रेख कर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों / नीति के अनुपालन में नीट यू0जी0–2018 हेतु एक विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जायेगा, जिसमें समस्त निर्धारित प्रारूप पत्रों को संलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्रोशर में प्रकाशित समस्त सूचनाए / तथ्य एवं निर्धारित प्रारूप शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / निर्देशों के अनुसार हो।

3. अर्हतायें **(Eligibility)**

(1)राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हतायें (Eligibility)

- ऐसे छात्र जिन्होने NEET यू0जी0 2018 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो, नीट उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाईट https://upneet.gov.in पर पंजीकरण कराया हो, ही कांउसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाईट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के कम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/संस्थान/ डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनो परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नही होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हो, को प्रवेश के समय उ0प्र0 सरकार द्वारा नियमानुसार निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "सामान्य निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के साथ ही साथ अन्य सुसंगत अभिलेख जो संलग्नक–1 पर उल्लिखित है, को प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से दोनो ही परीक्षायें उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हो को प्रवेश के समय निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "मूल निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के साथ ही साथ अन्य सुसंगत अभिलेख जो संलग्नक–2 पर उल्लिखित है, को प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नही होगा।

नोटः–

नीट यू0जी0–2018 में मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्रोशर में इस हेतु अलग से कोई प्रारूप टंकित नही किया जायेगा।

(2) शैक्षिक अर्हतायें (**NEET UG 2018** के **Brochure** के अनुसार)

CODE : 01

A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12th Standard in 2018, whose result is awaited, may apply and take up the said test but he/she shall not be eligible for admission to the MBBS or BDS, if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of marks at the time of first round of Counselling.

OR

CODE : 02

The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. Provided that 2 year of regular and continuous study of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology taking together shall be required at 10+2 level for all the candidates. Candidates who have passed 10+2 from Open Schools or as private candidate shall not be eligible to appear for NEET (UG). Furthermore, study of Biology/Bio-technology as an additional subject at 10+2 level also shall not permissible.

NOTE: where the course content is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre - professional training before admission to the Medical Colleges.

OR

CODE : 03

The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology /Bio-technology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.

OR

CODE : 04

The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology & English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre-professional/Pre-medical examination shall include practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

OR

CODE : 05

The first year of the three years" degree course of a recognised University with Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Bio-technology with English at a level not less than a core course.

OR

CODE : 06

B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio-technology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English.

OR

CODE : 07

Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology; Which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in each of these subjects and English.

Provided that to be eligible for Competitive Entrance Examination, candidate must have passed any of the qualifying examinations as enumerated above or appearing in the qualifying examination in 2018. Provided also that to be eligible for Competitive Entrance Test, the candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in

clause (2) of regulation 4 on Graduate Medical Education Regulations, 1997 as amended in 2018 and in addition must have come in the merit list of NATIONAL ELIGIBILITY ENTRANCE TEST (UG) – 2018 for admission to MBBS/BDS courses.

In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for General Candidates. In respect of candidates with Bench Mark Disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany & Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50% for General category candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates.

Provided further that the students educated abroad seeking admission into medical colleges in India must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English up to the 12th standard level with 50% marks and their equivalency determined as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University. If a candidate does not fall within the qualifications prescribed as per Code number 01-07, he/she should furnish complete details to determine eligibility.

Note:

- The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.
- Marks obtained in Mathematics are not to be considered for admission to MBBS/BDS Courses.
- The candidates who have studied from the Foreign/International Board may ensure that the qualifying examination passed by them should, in scope and standard, be as explained in CODE: 07.

उक्त के अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–1813 / 2018 अंशुल अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के Conclusion में उल्लिखित है कि–

- *75. In view of the aforesaid discussion, our findings and conclusions are as under:-*
- *(a) Proviso to clause 4(2)(a) of the Regulations disqualifying recognized open school Board candidates is struck down and declared unconstitutional. Students/candidates, who have done class 12 from NIOS or recognized open school State Boards, would not be treated as per se disqualified for selection and appearance in NEET examination. Their NEET results, when otherwise eligible, would be declared with other candidates.*
- *(b) Proviso to clause 4 prescribing upper age limit of 25 years in case of general category candidates and 30 years in case of reserved category candidates is legal and valid. To this extent, the writ petitions challenging vires of proviso to clause 4 of the Regulations are dismissed.*
- *(c) In respect of private students, MCI has already issued clarification, which appears to have satisfied grievance of the private candidates. In the light of the said clarification, no arguments have been addressed before us and, therefore, we have not decided or adjudicated on the said issue/aspect.*
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय के आदेश के कम में यदि एम0सी0आई0 द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. Merit List & Qualifying Criteria (NEET UG 2018 के Brochure के अनुसार)

The Central Board of Secondary Education will prepare an All India Merit List of successful candidates of NEET (UG) – 2018 on the basis of the eligibility criteria provided by the Medical Council of India and Dental Council of India as given in Graduate Medical

Education Regulations-1997 issued under Indian Medical Council Act-1956 and BDS Course Regulations, 2007 issued under the Dentists Act, 1948. The eligibility criteria are as follows:

(a) In order to be eligible for admission to MBBS/BDS Courses for a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in National Eligibility Cum Entrance Test to MBBS/BDS Courses held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of the candidates with Bench Marked Disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General category candidates and 40th percentile for SC/ST/OBC candidates. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All India common merit list in National Eligibility Cum Entrance Test for admission to MBBS/BDS courses.

(b) Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility Cum Entrance Test held for any academic year for admission to MBBS/BDS Courses, the Central Government in consultation with Medical Council of India and Dental Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to MBBS/BDS Courses for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only.

(c) To be eligible for admission to the MBBS/BDS Courses, a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology at the Qualifying Examination as mentioned in Graduate Medical Education Regulations-1997 as amended in 2018 and BDS Course Regulations, 2007 and in addition must have come in the merit list of National Eligibility Cum Entrance Test for admission to MBBS/BDS Courses. In respect of the candidates belonging to the SC, ST and OBC category, the marks obtained in Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology taken in qualifying examination and competitive examination (Physics, Chemistry, Biology) be 40% marks instead of 50%. In respect of the candidates with Bench Marked Disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology taken together be 45% instead of 50% for General category candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates. Provided that 2 years of regular and continuous study of Physics, chemistry and Biology/Bio-Technology taken together shall be required at 10+2 level for all the candidates. Candidates who have passed 10+2 from open schools or as a private candidate shall not be eligible to appear for National Eligibility Cum Entrance Test (UG). Furthermore, study of biology/bio-technology as an additional subject at 10+2 level also shall not permissible. Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination, the result of which has not been declared, he may be provisionally permitted to take up the competitive entrance examination and in case of selection for admission to the MBBS/BDS courses, he/she shall not be admitted to that course until he/she fulfils the eligibility criteria as specified above. For details candidates may refer to Graduate Medical Education Regulations, 1997 and BDS Course Regulations, 2007.

2. ELIGIBILITY TO APPEAR IN NEET (UG) (NEET UG 2018 के Brochure के अनुसार)

Eligibility for appearing in NEET (UG) is as stipulated in Indian Medical Council Act-1956/Regulations as amended in 2018 and the Dentists Act-1948/Regulations as amended in 2018. Eligibility as per related regulations is as follows:-

(a) He/she has completed age of 17 years at the time of admission or will complete the age on or before 31st December of the year of his/her admission to the 1st year MBBS/BDS Course.

(b) The upper age limit for NEET(UG) is 25 years as on the date of examination with relaxation of 5 years for the candidates belonging to SC/ST/OBC category and persons entitled for reservation under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

The Age criteria for appearing in NEET (UG) - 2018 is as follows:

For Candidates of Unreserved Category (UR)	born on or between 07.05.1993 and 01.01.2002
For Candidates of SC/ST/OBC/PH Category	born on or between 07.05.1988 and 01.01.2002

3. अभिलेखों का सत्यापन

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा कराया जायेगा:–

शैक्षणिक अभिलेख–

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप पर निर्गत सामान्य निवास प्रमाण–पत्र।
3. सामान्य प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा)।

4. अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर

उक्त उल्लिखित अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नांकित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में मूल अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थिति होना होगा। उपस्थित होने हेतु तिथि एवं समय की सूचना पृथक से एन0आई0सी0 की वेबसाईट *https://upneet.gov.in* तथा विभाग की वेबसाईट *www.updgme.in* पर प्रदर्शित की जायेगी। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

क्र	मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम (सेण्टर का नाम)
1	के0जी0एम0यू0, लखनऊ
2	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ
3	मेडिकल कालेज, कानपुर
4	मेडिकल कालेज, आगरा
5	मेडिकल कालेज, मेरठ
6	मेडिकल कालेज, झॉसी
7	मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
9	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
10	मेडिकल कालेज, आजमगढ
11	मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	मेडिकल कालेज, जालौन
14	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	मेडिकल कालेज, बॉदा

यू0पी0 नीट–2018 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण कराये जाने वाले नोडल सेंटर की सूची

क0	नोडल सेंटर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी0 ऑफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ। 2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ। 3. टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेजएण्ड हास्पिटल लखनऊ। 4. इंटीग्रल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ।	1. कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, एण्ड हास्पिटल लखनऊ।
2.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ।	5. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, बाराबंकी। 6. मेयो इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, बाराबंकी। 7. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, सीतापुर।	2. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल सांइसेज, लखनऊ। 3. बी0बी0डी0 कालेज आफ डेन्टल सांइसेज, लखनऊ।
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।	8. रामा इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज, कानपुर।	4. रामा डेन्टल कालेज, कानपुर। 5. महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, कानपुर। 6. सरस्वती डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ। 7. चन्द्रा डेन्टल कालेज बाराबंकी।
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।	9. के0डी मेडिकल कालेज, मथुरा। 10. एफ0एच0 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद। 11. राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली। 12. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली। 13. श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	8. के0डी0 डेन्टल कालेज मथुरा। 9. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, बरेली। 10. आई0डी0एस0टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर गाजियाबाद।
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।	14. सुभारती मेडिकल कालेज मेरठ। 15. रामा मेडिकल एण्ड हास्पिटल, हापुड। 16. एम0एस0वाई0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल मेरठ। 17. जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड। 18. सरस्वती इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड। 19. तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद।	11. सुभारती डेन्टल कालेज मेरठ। 12. कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल मेरठ 13. इन्द्रप्रस्थ डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल गाजियाबाद। 14. तीर्थांकर महावीर डेण्टल कालेज, मुरादाबाद। 15. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।
6	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।	20. हेरिटेज इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज सांइसेज, वाराणसी।	
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।		16. पूर्वांचल इंस्टीटयूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर। 17. डेण्टल कालेज, आजमगढ़।

8	मेडिकल कालेज, सहारनपुर।	21. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर। 22. स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा।	18. आई0टी0एस0 सेंटर फार डेन्टल, मुरादनगर, गाजियाबाद। 19. डी0जे0 कालेज आफ डेन्टल साइन्स एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद। 20. श्री बांके बिहारी डेन्टल कालेज, गाजियाबाद। 21. स्कूल ऑफ डेण्टल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा। 22. आई0टी0एस0 कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा।

नोडल सेन्टरों/मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा उनके मेडिकल कालेज में स्थापित बैंकों को धरोहर धनराशि एवं अन्य संगत ड्राफ्ट बनाये जाने के संबंध में अवकाश के दिनों में भी सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

5. पंजीकरण शुल्क

नीट यू0जी0 2018 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/- प्रति अभ्यर्थी (दोनो चक्रो की कांउसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 1000/- प्रति अभ्यर्थी (मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा।

6. धरोहर धनराशि (Security Money)

स्नातक पाठ्यकमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट हेतु रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सीट हेतु रू0 2,00,000/-(रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में एलाटमेन्ट लेटर डाउनलोड करने से पूर्व आफ लाइन बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस पर की जायेगी। जिन अभ्यर्थियो द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की कांउसिलिंगों के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम कांउसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय किसी अन्य कांउसिलिंग से आंवटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी

धनराशि वापस कर दी जायेगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में सिक्योरिटी धनराशि वापस नही की जायेगी।

7. **ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों के सम्बन्ध में**

ऑल इण्डिया की द्वितीय कांउसिलिंग के पश्चात प्रदेश को समर्पित रिक्त सीटों की काउंसिलिंग में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. **त्याग–पत्र दिये जाने के संबंध में**

रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के संबंध में द्वितीय चक की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी।

9. **कांउसिलिंग बोर्ड**

नीट यू0जी0 2018 की मेरिट सूची के आधार पर तैयार की गयी स्टेट मेरिट सूची के अनुसार निम्नानुसार गठित काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:–

कांउसिलिंग बोर्ड में शामिल अधिकारियों का नाम/पदनाम	प्रास्थिति
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न श्रेणी के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर।	1. डा0 सन्तोष कुमार, प्रोफेसर, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। (अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में) 2. डा0 दिलीप कुमार वर्मा, एडीशनल प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। (अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में) 3. डा0 सन्दीप भट्टाचार्य, आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। (अनारक्षित श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में) 4. डा0 राहत हादी, अपर आचार्य, रेडियोथिरैपी विभाग, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। (अल्पसंख्यक श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में)
मुख्यालय से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य (प्रत्येक एसोसिएशन द्वारा नामित 01–01 प्रतिनिधि)
अल्पसंख्यक संस्थाओं–एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ, तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य

निदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सह सदस्य
परामर्शदाता।	डा0 ए0के0 सिंह, परीक्षा नियत्रंक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

10. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आरक्षण

(क) प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगाः–

उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

क्षैतिज आरक्षण (हारिजेण्टल)

नीट यू0जी0–2018 मे विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगाः–

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियो के लिए	02 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेड सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन0सी0सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

नोट–

एम0सी0आई0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियो को 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाना है। वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। इस उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट–ज में संलग्न है। यदि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटो में शामिल किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय मेडिकल कलोज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में "वर्टिकल" आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया हैः–

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
	योग	85	15	100

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी और शाशासनादेश संख्या–22 सी0एम0 (1)/ 26–3–2013 दिनांक 10.06.2013 में उल्लिखित

व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नही है, अपितु विमुक्त जाति का अभयर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा, उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

(ग) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा:-

- कांउसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व कांउसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्व में अंपग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का0-2- 2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 2018 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश/निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के कम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2018 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2018 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निःशक्तजन अधिनियम-2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में नोडल सेन्टर/मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रोशर में स्पष्ट रूप से करते हुए मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड के बैठने

की तिथि निश्चित करते हुए इसका उल्लेख ब्रोशर में किया जायेगा तथा ससमय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

11. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आरक्षण

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नही होगा।

12. बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950/71–2–82–/2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशो के कम में यह अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कालेजो/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा। बाण्ड की धनराशि रू0 10 लाख होगी। सेवा के स्थान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि "महानगरो को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।" उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट *www.updgme.in* पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तो के सम्बन्ध में शासनादेश का अवलोकन किया जायेगा।

13. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में

नीट यू0जी0–2018 की ऑन लाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) जमा कराया जायेगा, ताकि काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगे एवं अल्प संख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित कालेज कांउसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व सिक्योरिटी धनराशि तथा हास्टल फीस आदि का विवरण भी महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायेंगे और अपने संस्था की वेबसाईट पर भी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे। महानिदेशालय को उपलब्ध करायी गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा हास्टल फीस आदि से सम्बन्धित सभी शुल्क की सूचना को भी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

14. कांउसिलिंग प्रकिया

काउंसिलिंग प्रकिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money)

जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक की कांउसिलिंग के लिए अर्ह होगे।

प्रथम चक से अनआवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक की कांउसिलिग में प्रतिभाग कर सकेगे तथा इन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नही होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी, Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।

15. मॉप–अप राउण्ड

- माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू0जी0–2018 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/– पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रकिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हे कोई आंवटन प्राप्त नही हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा नही करनी होगी।
- माप–अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रकिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मॉप–अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना *https://upneet.gov.in & www.updgme.in* पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- मॉप–अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई भी विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 2,00,000/– की सिक्योरिटी धनराशि ऑफ लाईन/बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नही जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय ही सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director

General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- यदि मॉप–अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटे रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और उक्त की सूची सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नीट 2018 की पूर्व कांउसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे। बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- इस आवंटन हेतु कोई पुनरावंटन (Reshuffeling) अनुमन्य नही होगा।

मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नही होंगे–

- नीट यू0पी0 2018 की प्रथम/द्वितीय कांउसिलिंग के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी (अप्रवेशित)/त्यागपत्र दे चुके अभ्यर्थी।
- नीट 2018 (15% All India Quota) के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी।

16. कांउसिलिंग हेतु समय सारणी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–सी–18018/05/2015 –एमईपी(पीटी) दिनांक 12.03.2018 द्वारा निर्धारित प्रथम, द्वितीय एवं मॉप अप राउण्ड हेतु कांउसिलिंग की समय–सारिणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र.	विवरण	ऑल इण्डिया कोटा	डीम्ड तथा केन्द्रीय संस्थान	स्टेट कोटा
1	प्रथम चक्र की कांउसिलिंग	12 जून, 2018 से 24 जून, 2018	12 जून, 2018 से 24 जून, 2018	25 जून, 2018 से 05 जुलाई, 2018
2	प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि	03 जुलाई, 2018	03 जुलाई, 2018	12 जुलाई, 2018
3	द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग	06 जुलाई, 2018 से 12 जुलाई, 2018	06 जुलाई, 2018 से 12 जुलाई, 2018	15 जुलाई, 2018 से 26 जुलाई, 2018
4	द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि	22 जुलाई, 2018	22 जुलाई, 2018	03 अगस्त, 2018

5	मॉपअप राउण्ड		12 अगस्त, 2018 22 अगस्त, 2018	04 अगस्त 2018 से 08 अगस्त 2018
6	मॉपअप राउण्ड से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि		26 अगस्त, 2018	12 अगस्त, 2018
7	मेडिकल कालेजों में रिक्त रह गयी सीटों को भरे जाने के सम्बन्ध में एक सीट के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उपलब्ध कराया जाना		27 अगस्त, 2018	13 अगस्त, 2018
8	प्रवेश की अंतिम तिथि		31 अगस्त, 2018	18 अगस्त, 2018

17.अन्य आवश्यक निर्देश

- धरोहर धनराशि की वापसी हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय ही उनका बैंक एकाउन्ट, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा बैंक का नाम पंजीकरण के समय प्राप्त किया जायेगा।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यू0जी0 नीट प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एक विशेष अधिकारी नामित किया जाएगा तथा ब्रोशर में व वेबसाइट पर उसका नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित किया जाएगा। महानिदेशक द्वारा नामित विशेष अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्व रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–   (1)/71–4–18–तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

संलग्नक–1

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को काउसिलिंग के समय, कांउसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

1. केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपकमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ०प्र० राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

<u>अथवा</u>

2. निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गये Incom Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किए गये भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

<u>अथवा</u>

3. कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किये गये भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी

<u>अथवा</u>

4. उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजन का प्रमाण–पत्र संलग्न कर अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंको, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपकमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टेम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ–पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिये कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कालेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नही है।

<u>अथवा</u>

5. विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

<u>अथवा</u>

<u>अपवादः–</u> अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर नीट काउसिलिंग 2018 हेतु अनुमन्य होगा

1. उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
2. उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
3. देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
4. अन्य देशों से उत्तर प्रदेश मे प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)

Scanned by CamScanner

संलग्नक–2

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनो परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को कांउसिलिंग के समय, कांउसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

1. केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपकमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

<u>अथवा</u>

2. कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किये गये भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी

<u>अपवाद</u>:– अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर नीट कांउसिलिंग 2018 हेतु अनुमन्य होगा

1. उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
2. उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
3. देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियो के ऐसे पोष्य जिन्होने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
4. अन्य देशो से उत्तर प्रदेश मे प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)

संख्या– (1)/71–4–18–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/2018/233। लखनऊ:दिनांक 13 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ
2. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, ईटावा
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ
4. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बाँदा।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक।